

**आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021**



**राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION
BIHAR**

पत्रांक:- प0नि0 30-119/2015-3755

प्रेषक,

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

31-11-21

विषय: पंचायत आम निर्वाचन, 2021; मतदान सामग्री की व्यवस्था के संबंध में।

प्रसंग: आयोग का पत्रांक-2907 दिनांक- 04.08.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा जिला स्तर पर मतदान सामग्री की व्यवस्था करने संबंधी निदेश निर्गत किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर चार पदों यथा- ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति का सदस्य तथा जिला परिषद् के सदस्य पद का निर्वाचन ई.वी.एम. के माध्यम से एवं ग्राम कचहरी के दोनों पदों यथा- पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र/मतपेटिका के माध्यम से कराया जाना है। ग्राम पंचायत के मुखिया एवं वार्ड सदस्य हेतु निर्वाचन में कई स्थान पर एक से अधिक बी.यू. के उपयोग की संभावना है। इस क्रम में स्पष्ट है कि एक मतदान केन्द्र पर चार से अधिक बी.यू. का उपयोग हो सकता है एवं दो मतपेटिकाएँ होंगी। साथ ही पीठासीन पदाधिकारी द्वारा विभिन्न पैकेट्स सील किया जाएगा। पंच एवं सरपंच पद हेतु वोटिंग स्टिक से मत अंकित किया जाएगा। पुनः निरक्षर मतदाताओं से मतपत्र के प्रतिपण एवं मतदाता रजिस्टर आदि पर अँगूठे का निशान भी लिया जाना है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा समयक् रूप से समीक्षोपरांत निम्न निदेश दिये गये हैं :-

(क) जिला स्तर पर की जाने वाली सामग्री की व्यवस्था अंतर्गत पीठासीन पदाधिकारी को दिए जाने वाले थैले में अतिरिक्त निम्न सामग्री दी जाए :-

मतदान सामग्री	अतिरिक्त	कुल (पूर्व निदेशित + अतिरिक्त)
स्टॉम्प पैड -	2 अदद	2 + 2 = 4 अदद
मोमबत्ती -	2 अदद	4 + 2 = 6 अदद
लाह -	2 अदद	6 + 2 = 8 अदद

(ख) पीठासीन पदाधिकारी एवं गश्ती दल दंडाधिकारी के द्वारा ई.वी.एम. तथा मतपेटिका संग्रहण केन्द्र पर जमा किए जाने के पश्चात् चालान के द्वारा उन्हें प्राप्ति रसीद दी जाएगी। अतः चालान तीन प्रतियों में मुद्रित कराकर पीठासीन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए।

अनुरोध है कि उपरोक्त अंकित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

सचिव

31.11.21

ज्ञापांक - प0नि0 30-119/2015- 3755

पटना, दिनांक- 17.9.21

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।


सचिव

ज्ञापांक- प0नि0 30-119/2015- 3755

पटना, दिनांक - 11.9.21

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव

ज्ञापांक- प0नि0 30-119/2015- 3755

पटना, दिनांक - 11.9.21

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव